

1972

पत्रावली पेशा / पत्रावली कार्यालय में
उपस्थित नहीं / पत्रावली के पत्रों न्यायालय
में काट - काट जोर - जोर से आवाजें
लगाई गई लेकिन फिर भी इस साल तक
या पत्रावली न्यायालय में उपस्थित नहीं।
अतः यह पत्रावली अफिम टाबकी एवं
अफिम पैरवी में इसी तरह पर कार्रवाई
की जाती है। पत्रावली काट करती व तकनीक तकनीक
द्वारा दायित्व दायित्व हो।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना